संख्या - 81/2021/598/71-01-2021
पत्रावली सं. - 71-1002(002)/27/2021

प्रेषक,

एस0 पी0 सिंह
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 08 अप्रैल, 2021

विषयः- वित्तीय वर्ष 2021-22 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा पैरा मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु वेतनादि एवं अन्य आवश्यक व्ययों को वहन किये जाने हेतु विभिन्न मानक मदों में प्राविधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एमई/बजट/2021-22/06, दिनॉक 05-04-2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-83 के अन्तर्गत राजस्व मद में राजकीय मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा पैरा मेडिकल कालेज, झॉसी हेतु वेतनादि तथा अन्य आवश्यक व्ययों को वहन किए जाने हेतु विभिन्न मानक मदों में संलग्न विवरणानुसार लेखाशीर्षक-2210-राजस्व लेखा में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 2,92,29,13,000/- (रू0 दो अरब बानबे करोड़ उन्तीस लाख तेरह हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है।

2- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3- स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग एस0सी0एस0पी0/टी0एस0पी0 हेतु भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानक एवं दिशा-निर्देशों के अनुरूप किया जाएगा।

4- स्वीकृत की जा रही धनराशि को अवमुक्त किये जाने के संबंध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 में दिए गए निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

5- आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को वेतन प्रत्येक माह की पहली तारीख को उनकी उपस्थिति सत्यापित करने के बाद अवमुक्त किया जाये। साथ ही कर्मचारियों के खाते में वेतन पहुँच गया, इसका प्रमाणपत्र सर्विस प्रोवाइडर से लेने के बाद अगले माह का वेतन सर्विस प्रोवाइटर का अवमुक्त किया जाये। इसके लिए एक पारदर्शी व्यवस्था सुनिश्चित की जाये।

6- यह आदेश वित्त विभाग के वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22.03.2021 एवं समाज कल्याण विभाग के शासनादेश संख्या-07/26-ब0प्र0/2015, दिनॉक 27-03-2015 में प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(एस0पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या:-उपरोक्त तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र, इलाहाबाद।
3- वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा झाँसी।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा झाँसी।
6- मुख्य कोषाधिकारी, कन्नौज, जालौन, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर तथा झाँसी।
7- कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
8- बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग।
9- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

tp/saaa s.pnci

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संलग्नक

वित्तीय वर्ष–2021-22 अनुदान संख्या–83	(रू0 लाख में)	
ब्योरेवार शीर्षक	बजट प्राविधान	स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि
1	2	3
राजस्व पक्ष		
2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–05–चिकित्सा शिक्षा–प्रशिक्षण तथा अनुसंधान–789–अनुसुचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना–03–शिक्षा–		
01–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, कन्नौज		
01–वेतन	3400.00	3400.00
03–मंहगाई भत्ता	1020.00	1020.00
04–यात्रा व्यय	1.00	1.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	1.00
06–अन्य भत्ते	400.00	400.00
08–कार्यालय व्यय	7.15	7.15
09–विद्युत देय	800.00	800.00
10–जलकर/जल प्रभार	0.01	0.01
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	8.00	8.00
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	16.50	16.50
13–टेलीफोन पर व्यय	1.00	1.00
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	3.30	3.30
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1100.00	1100.00
29–अनुरक्षण	82.50	82.50
39–औषधि तथा रसायन	787.00	787.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	5.50	5.50
41–भोजन व्यय	50.00	50.00
42–अन्य व्यय	22.00	22.00
43–सामग्री और सम्पूर्ति	125.00	125.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	2.00	2.00
47–कम्प्यू0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	3.50	3.50
49–चिकित्सा व्यय	10.00	10.00
51–वर्दी व्यय	2.00	2.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	20.00	20.00
57–प्रेक्टिस बन्दी भत्ता	100.00	100.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	500.00	500.00
योग–**(01)**	**8472.47**	**8472.47**
02–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, उरई (जालौन)		
01–वेतन	2892.83	2892.83

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

03–मंहगाई भत्ता	867.85	867.85
04–यात्रा व्यय	4.50	4.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.25	1.25
06–अन्य भत्ते	40.00	40.00
08–कार्यालय व्यय	6.00	6.00
09–विद्युत देय	687.50	687.50
10–जलकर/जल प्रभार	9.38	9.38
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	27.50	27.50
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.75	2.75
13–टेलीफोन पर व्यय	2.25	2.25
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	9.00	9.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	70.00	70.00
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1250.00	1250.00
29–अनुरक्षण	40.00	40.00
39–औषधि तथा रसायन	618.75	618.75
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	28.00	28.00
41–भोजन व्यय	20.00	20.00
42–अन्य व्यय	27.50	27.50
43–सामग्री और सम्पूर्ति	200.00	200.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	1.25	1.25
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.60	0.60
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.75	2.75
47–कम्प्यू0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.75	2.75
49–चिकित्सा व्यय	11.00	11.00
51–वर्दी व्यय	1.50	1.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	15.63	15.63
57–प्रेक्टिस बन्दी भत्ता	101.56	101.56
58–आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	500.00	500.00
योग–(02)	**7442.11**	**7442.11**
03–पैरा मेडिकल कालेज, झांसी		
01–वेतन	80.00	80.00
03–मंहगाई भत्ता	24.00	24.00
04–यात्रा व्यय	1.00	1.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20
06–अन्य भत्ते	7.25	7.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

08–कार्यालय व्यय	2.00	2.00
09–विद्युत देय	86.00	86.00
10–जलकर/जल प्रभार	0.50	0.50
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	1.10	1.10
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	15.00	15.00
13–टेलीफोन पर व्यय	0.55	0.55
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	0.75	0.75
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	5.00	5.00
17–किराया, उपशुल्क और कर–स्वामित्व	8.00	8.00
19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	0.75	0.75
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	0.01	0.01
29–अनुरक्षण	20.00	20.00
39–औषधि तथा रसायन	2.00	2.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	2.50	2.50
42–अन्य व्यय	11.00	11.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.50	0.50
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
47–कम्प्यू0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00
49–चिकित्सा व्यय	0.50	0.50
51–वर्दी व्यय	0.10	0.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	6.20	6.20
57–प्रेक्टिस बन्दी भत्ता	0.10	0.10
58–आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	125.00	125.00
योग–(03)	**405.02**	**405.02**
04–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, सहारनपुर		
01–वेतन	1750.00	1750.00
03–मंहगाई भत्ता	525.00	525.00
04–यात्रा व्यय	1.10	1.10
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.01	0.01
06–अन्य भत्ते	33.00	33.00
08–कार्यालय व्यय	4.50	4.50
09–विद्युत देय	400.00	400.00
10–जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	4.25	4.25
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	4.25	4.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

13–टेलीफोन पर व्यय	1.75	1.75
15–गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	9.00	9.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	6.00	6.00
18–प्रकाशन	1.00	1.00
19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	1.00	1.00
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1100.00	1100.00
29–अनुरक्षण	5.00	5.00
39–औषधि तथा रसायन	618.75	618.75
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	27.50	27.50
41–भोजन व्यय	15.00	15.00
42–अन्य व्यय	18.00	18.00
43–सामग्री और सम्पूर्ति	100.00	100.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	1.25	1.25
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	2.25	2.25
47–कम्प्यू0अनु0/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	2.25	2.25
49–चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
51–वर्दी व्यय	1.00	1.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	30.00	30.00
57–प्रेक्टिस बन्दी भत्ता	125.00	125.00
58–आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	1000.00	1000.00
योग–(04)	**5793.37**	**5793.37**
05–राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेज, अम्बेडकरनगर		
01–वेतन	2892.52	2892.52
03–मंहगाई भत्ता	867.76	867.76
04–यात्रा व्यय	3.00	3.00
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.50	1.50
06–अन्य भत्ते	26.50	26.50
07–मानदेय	0.01	0.01
08–कार्यालय व्यय	11.00	11.00
09–विद्युत देय	600.00	600.00
10–जलकर/जल प्रभार	0.01	0.01
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	7.70	7.70
12–कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	10.75	10.75
13–टेलीफोन पर व्यय	2.25	2.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

15–गाड़ियों का अनुरक्षण और प्रेट्रोल आदि की खरीद	9.00	9.00
16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	3.00
21–छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1100.00	1100.00
29–अनुरक्षण	65.00	65.00
39–औषधि तथा रसायन	675.00	675.00
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	6.60	6.60
41–भोजन व्यय	40.00	40.00
42–अन्य व्यय	37.50	37.50
43–सामग्री और सम्पूर्ति	175.00	175.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासांगिक व्यय	0.50	0.50
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	6.50	6.50
49–चिकित्सा व्यय	10.00	10.00
51–वर्दी व्यय	1.00	1.00
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष(राजकीय)	0.01	0.01
55–मकान किराया भत्ता	4.00	4.00
57–प्रेक्टिस बन्दी भत्ता	84.55	84.55
58–आउट सोर्सिंग सेवाओ हेतु भुगतान	400.00	400.00
योग–(05)	**7041.16**	**7041.16**
08–राजकीय मेडिकल कालेजों में बायो मेडिकल वेस्ट डिस्पोजल		
42–अन्य व्यय	75.00	75.00
योग–(08)	**75.00**	**75.00**
कुल योग–राजस्व	**29229.13**	**29229.13**

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।